

**उपायुक्त का कार्यालय सरायकेला-खरसावाँ
(जिला पंचायत शाखा)**

(Email- dproseraikella2018@gmail.com)

संविदा आधारित नियुक्ति

विज्ञापन सं० 01/पं० /2021

15 वें वित्त आयोग अनुदान अन्तर्गत अनुमान्य अनिवार्य गतिविधियों के संचालन के निमित्त पंचायतो में ग्रामीण निवासियों को सेवाएँ प्रदान करने के क्रम में कनीय अभियंता एवं लेखा लिपिक-सह-कम्प्युटर ऑपरेटर के रूप में सेवा प्राप्त करने हेतु जिला स्तरीय पैनल में चयन हेतु योग्य अभ्यर्थियों से निम्न सेवाओं हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं :-

क्र०	सेवा का नाम	पद की संख्या	आरक्षण वर्ग					क्षेत्रीय आरक्षण संबंधी विवरणी	मासिक मानेदय
			ST	SC	BC-I	BC-II	UR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	कनीय अभियंता	18	07	01	01	0	09	4 % पद क्षेत्रीय रूप से अंघापन अथवा अल्पदृष्टि वाले दिव्यांग के लिए आरक्षित होगा	17,000/- रू० प्रतिमाह
2	लेखा लिपिक -सह- कम्प्युटर ऑपरेटर	27	10	01	01	01	14		10,000/- रू० प्रतिमाह

2. आवेदन समर्पित करने की प्रक्रिया :

(a) पैनल में चयन हेतु आवेदन पत्र विहित प्रपत्र में भरे जायेंगे जिसे जिले के वेबसाईट (www.seraikela.nic.in) से डाउनलोड किया जा सकता है ।

(b) आवेदक एक से अधिक पदों के लिए आवेदन समर्पित कर सकते हैं । इसके लिए प्रत्येक पद के लिए अलग-अलग आवेदन पत्र समर्पित करना होगा एवं पदवार अलग-अलग शुल्क जमा करना होगा ।

(c) आवेदक को आवेदन के साथ पद के अनुरूप शुल्क का भुगतान करना होगा, जो निम्नवत् होगा । शुल्क का भुगतान डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से किया जायेगा, जो उपायुक्त, सरायकेला-खरसावाँ के पदनाम से भारतीय स्टेट बैंक शाखा सरायकेला में भुगतये होगा ।

क्रमांक	पद का नाम	शुल्क की राशि	कोटि
1	कनीय अभियंता	500/- रूपये	सामान्य
		300/- रूपये	अ०जा०, अ०ज०जा० एवं महिला
2	लेखा लिपिक -सह- कम्प्युटर ऑपरेटर	500/- रूपये	सामान्य
		300/- रूपये	अ०जा०, अ०ज०जा० एवं महिला

(d) आवेदन पत्र जमा करने की तिथि - 17 मार्च 2021 से 23 मार्च 2021 तक स्पीड पोस्ट / निबंधित डाक से

आवेदन पत्र भेजने का पता- उपायुक्त, सरायकेला-खरसावाँ, पो० सरायकेला, जिला- सरायकेला-खरसावाँ, (झारखण्ड) पिन न० -833219

3. सेवा अनुबंध हेतु पैनल में चयन हेतु योग्यता एवं अन्य शर्तों से संबंधित विवरणी जिले के वेबसाईट (www.seraikela.nic.in) पर देखा जा सकता है ।

नोट :- सरकार एवं विभाग द्वारा भविष्य में प्राप्त दिशा-निर्देशों तथा जिला चयन समिति द्वारा लिया गया निर्णय इस नियुक्ति में प्रभावी होगा ।



उपायुक्त
सरायकेला-खरसावाँ